कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

सरकार की ओर से लोगों को लाभ की बेहतर और समयबद्ध सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सरकार की एक प्रमुख सुधार पहल है। यह वेतन भुगतान, ईंधन सब्सिडी, खाद्यान्न सब्सिडी आदि जैसे लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने, उनके रिसाव को दूर करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की प्रक्रिया में आदर्श बदलाव का प्रतीक है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत तत्कालीन योजना आयोग द्वारा की गई थी (जनवरी 2013) और बाद में इसे व्यय विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था (जुलाई 2013)। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन को सितंबर 2015 में कैबिनेट सचिवालय के अधीन लाया गया था। राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल सितंबर 2017 में आरंभ किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की अवधारणा और इसका क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में विकसित हो रहा है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यह निर्धारित करता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रक्रिया की पुनर्रचना की जानी चाहिए ताकि मध्यस्थ स्तर, अभिप्रेत लाभार्थियों को भुगतान में देरी, चोरी तथा दोहराव को कम किया जा सके। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

हरियाणा में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, जून 2016 में वित्त विभाग के अधीन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष का गठन किया गया था और एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के लिए लाभ अंतरण सूचना और गतिविधियों को एकत्रित करने के लिए सितंबर 2017 में राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल बनाया गया था। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल के साथ एकीकृत है।

विभाग राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर लागू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन कर रहे हैं। यदि विभाग द्वारा किसी नई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की पहचान की जाती है तो विभाग के अनुरोध पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा उसे राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। संबंधित विभाग उन योजनाओं का वर्गीकरण/पहचान करते हैं जिन पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू किया जाना है और पहचान की गई योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया की पुनर्रचना की गई थी ताकि मध्यस्थ स्तर को कम किया जा सके, इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में देरी, चोरी और दोहराव को कम किया जा सके; और क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की मूलभूत संरचना, संगठन एवं प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था।

निष्पादन लेखापरीक्षा 01 अप्रैल 2017 से 31 जुलाई 2020 की अवधि को शामिल करते हुए मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवृत किया। आंकड़ों के विश्लेषण पर देखे गए निष्कर्षों का सत्यापन हरियाणा के छः जिलों के चयनित नमूने में किया गया था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

योजना में लाभार्थियों के नामांकन में एक दिन से 963 दिनों के मध्य विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ और लाभार्थियों को आय सहायता योजनाओं के रूप में कार्य करने के लिए योजनाओं के उद्देश्यों से समझौता किया गया था।

(अनुच्छेद 2.4)

विभाग समय पर मृत लाभार्थियों की पहचान करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मृत लाभार्थियों के खाते में ₹ 98.96 करोड़ की पेंशन अंतरित की गई।

(अनुच्छेद 2.6.1)

लक्षित लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विरासती डाटा के अपूर्ण एवं गलत डिजिटलीकरण के कारण लाभार्थी खातों को आधार नंबरों से जोड़ने की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.8 एवं 2.9)

संवितरण निगरानी तंत्र अनुपस्थित था जिसके कारण दो योजनाओं, अर्थात् वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, में एक ही लाभार्थी को कई पेंशन भुगतानों का संवितरण या दोहरा भुगतान हुआ। जिला समाज कल्याण अधिकारी लाभार्थियों की पहचान करने, उनकी पात्रता की स्थिति को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थे कि सही लाभार्थियों को पेंशन का संवितरण किया जा रहा है।

(अनुच्छेद 2.10)

दो योजनाओं, अर्थात् वृद्धावस्था सम्मान भत्ता तथा विधवा एवं निराश्रित पेंशन, में ₹ 54.54 करोड़ की पेंशन सही लाभार्थियों के खाते के बजाय विभिन्न बैंक खातों में अंतरित की गई थी।

(अनुच्छेद 2.11)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी संवितरित किया गया जो योजनाओं के नियमों के विरुद्ध था।

(अनुच्छेद 2.13)

0.38 लाख लाभार्थियों, जिनकी स्थिति को बैंकों ने पता न लगाए जाने वाले के रूप में दर्शाया था, को ₹ 64.13 करोड़ की राशि की पेंशन अंतरित की गई थी।

(अनुच्छेद 2.14)

अनुरक्षित डाटा में 5.56 लाख लाभार्थियों से संबंधित ऑडिट ट्रेल्स गायब थे। ऑडिट ट्रेल्स के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कब और किस आईपी एड्रेस से और किसके द्वारा उनका नामांकन किया गया था। इसके अलावा लाभार्थी आईडी अनुक्रम में अंतर था और मास्टर डाटाबेस में लाभार्थियों के अभिलेख नहीं थे।

(अनुच्छेद 2.15.3 एवं 2.20)

28 विभागों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के उपयुक्त योजनाओं की पहचान नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.1)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर दर्शाई गई योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अंतरित राशि और बचत के संबंध में डाटा पूर्ण नहीं था क्योंकि कृषि विभाग ने कोई सूचना प्रदान नहीं की और राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर बचत सहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डाटा भी अपलोड नहीं किया था।

(अनुच्छेद 3.3)

सिफारिशें

- सही लाभार्थियों के खातों में भुगतान के अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार आधार पोर्टल के साथ लिंगेसी लाभार्थियों के आधार नंबरों के प्रमाणीकरण के लिए उचित प्रणाली विकसित कर सकती है।
- सरकार/विभाग इसकी पूर्णता, प्रामाणिकता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लिंगेसी डाटा सहित लाभार्थियों के डाटा की व्यापक समीक्षा कर सकता है।
- सरकार/विभाग लाभार्थियों के आवेदनों की संवीक्षा, वैधता और सत्यापन प्रक्रिया और लाभ के सही खाते में अंतरण के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करे। राज्य पेंशनभोगी डाटाबेस तक पहुंच प्राप्त की जानी चाहिए और लाभार्थियों के नामांकन से पहले क्रॉस सत्यापन किया जाए।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अलावा सॉफ्टवेयर को विभिन्न एजेंसियों से जोड़कर मृत व्यक्तियों को पेंशन के संवितरण से बचा जाना चाहिए। लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से वित्तीय सहायता के भुगतान जैसी सूचना प्रसारित करने की प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए।
- सरकार प्रभावी निर्णय लेने और पर्यवेक्षण के लिए वास्तविक समय निगरानी तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है। यह पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों के संबंध में पेंशन की असंवितरित राशि का आकलन करने और अनधिकृत लाभार्थियों की पेंशन बंद करने

और इन मामलों में विभाग के खाते में राशि वापस करने और लाभार्थियों को नियमित एसएमएस द्वारा जानकारी के लिए सूचना प्रणाली विकसित करने में सहायता करेगा।

- जब भी नई प्रणाली का विकास किया जाता है, विभाग अपेक्षित दस्तावेजों (उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश, सिस्टम आवश्यकता विनिर्देश, विस्तृत डिजाइन दस्तावेज, आदि) की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है।
- राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर सभी लागू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं की पहचान और बोर्डिंग, लाभार्थियों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के बाद अर्जित बचत के लिए उचित प्रणाली विकसित कर सकती है।
- राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता के लिए जिम्मेदारी तय करने के अलावा सहायता के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली को प्रभावित करने के लिए सख्त प्रयास कर सकती है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष यह सुनिश्चित करे कि दिशानिर्देशों में परिकल्पना के अनुसार समय-समय पर सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है।